संख्या 02 /2018/24/41-2018-78 (बजट)/2017

प्रेषक,

बच्चू लाल,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ दिनांक 09 जनवरी, 2018**

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न मेले/महोत्सवों के आयोजन हेतु अनुपूरक बजट में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने के पत्र सं0-6251/15-1-838(21) टी0टी0/2018 दिनॉक-02.01.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या 44 के अन्तर्गत राजस्व लेखा में लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-12-मेले/महोत्सवों के आयोजन हेतु-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड़) मात्र की धनराशि निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ 2 में उल्लिखित मेलों/महात्सवों के आयोजन हेतु स्तम्भ 3 में अंकित धनराशि महानिदेशक, पर्यटन के निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

क्रमांक	मेले/महात्सवों का नाम	धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3
1	**गोरखपुर महोत्सव**	100.00
2	**कपिलवस्तु महोत्सव**	15.00
3	**श्रृंगवेरपुर महोत्सव**	15.00
4	**ताज महोत्सव, आगरा**	15.00
5	**देवगढ़ महोत्सव ललितपुर**	15.00
6	**आल्हा महोत्सव, महोबा**	15.00
7	**ताज कार रैली, आगरा**	10.00
8	**अन्य विविध आयोजन**	15.00
	योग	**200.00**

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 8/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 तथा वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 20/2017/बी0-2-1775/दस-2017-244/2017, दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृति धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि व्यय किये जाने में वित्तीय नियमों एवं बजट मेनुअल के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का नियमित मिलान महालेखाकार इलाहाबाद से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(5) प्रस्तर-2 में स्वीकृत/निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/विनियमों के अन्तर्गत निविदा आदि की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए की जायेगी तथा व्यय की धनराशि के मदवार विवरण को सक्षम स्तर से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त प्रस्तर-2 में अंकित तालिका में अन्य विविध आयोजन हेतु निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि को व्यय किये जाने के पूर्व आयोजनों के नाम/व्यय मद का विवरण शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 44 के अन्तर्गत राजस्व लेखा में लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-12-मेले/महोत्सवों के आयोजन हेतु-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 8/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 तथा कार्यालय-ज्ञाप सं0 20/2017/बी0-2-1775/दस-2017-244/2017, दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 के द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(बच्चू लाल)
उप सचिव।

संख्या- 02 /2018/24(1)/41-2018-78 (बजट)/2017 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- सम्बन्धित जनपद के मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- सम्बन्धित जनपदों के मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(बच्चू लाल)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।